| तारीख हुक्म | हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए |
|---|---|---|
| | 27/12/24<br>पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई गत आदेश की पालना में दिनांक 23/01/25 को पेश हो।<br>हस्ताक्षर रीडर | |
| | 23/01/25<br>पत्रावली पेश हुई। वकीलों द्वारा कार्य स्थगन/P.O. सा० राज्य कार्य में व्यस्त होने से जनरल तारीख पेशी हो गई गत आदेश की पालना में दिनांक 20/02/25 को पेश हो।<br>हस्ताक्षर रीडर | |
| | 20/02/25<br>पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप० वास्ते आदेश दिनांक 25/03/25 को पेश हो<br>उप खण्ड अधिकारी<br>बांदीकुई (दौसा) | |
| | 25/03/25<br>पत्रावली पेश हुई वकील प्रार्थी उप० प्रार्थी वकील द्वारा पुनः बहस की गयी। हमने प्रार्थी वकील बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। अतः प्रार्थी वकील बहस पर मनन करने एवं पत्रावली के अवलोकन के आधार पर प्रा०पत्र अंतर्गत धारा 136 रा० रे० एक्ट पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। विस्तृत निर्णय पृथक से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो।<br>25/3/25<br>उप खण्ड अधिकारी<br>बांदीकुई (दौसा) | |

प्रकरण संख्या :–06/2023
प्रकरण दायर दिनांकः– 24.01.2023
प्रकरण निर्णय दिनांकः– 25.03.2025

उनवान

1. रमेश चंद दत्तक पुत्र लक्ष्मण जाति मीना निवासी ग्राम चोरवाडा तहसील बांदीकुई जिला दौसा

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये लैण्ड होल्डर, तहसीलदार बांदीकुई जिला दौसा
2. नायब तहसीलदार, बडियालकलां जिला दौसा

**प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 लै. रे. एक्ट**
**मुकदमा नं.–06/2023 सन्–2023**

**निर्णय दिनांक 25.03.2025**

प्रार्थी द्वारा विरूद्ध अप्रार्थीगण प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 लै.रे. एक्ट जर्ये वकील श्री गोपाल बंधु के इस आशय से पेश किया है कि खतौनी संख्या पुरानी 35 नई 33 के आराजी खसरा नंबर 191 , 192, 193, 201, 201/773, कुल किता 5 कुल रकबा 1.02 हैक्टेयर वाके रामा चोरवाडा पटवार हल्का मूण्डघिस्या भू.अ.नि. बडियालकलां में स्थित है। उक्त वर्णित भूमि में प्रार्थी का 1/3 हिस्सा दर्ज रिकॉर्ड है एवं इसी मुताबिक नामान्तकरण खोला गया। किन्तु राजस्व कर्मचारियों ने प्रार्थी का गलत हिस्सा 1/4 दर्ज कर दिया जिसे दुरूस्थ किया जाना न्यायोचित है। माननीय न्यायालय हाजा को क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार प्राप्त है। अतः श्रीमान जी को प्रार्थना पत्र पेश कर अर्ज है कि प्रार्थी के राजस्व रिकॉर्ड में हिस्सा 1/4 के स्थान पर हिस्सा 1/3 दर्ज रिकॉर्ड करने की कृपा करें।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार बांदीकुई से प्रकरण में रिपोर्ट/जबाब प्राप्त किया गया। पैरोकार सरकार/नायब तहसीलदार बांदीकुई की रिपोर्ट दिनांक 02.05.2024 के अनुसार ग्राम चोरवाडा की जमाबंदी संवत् 2070–2073 के खाता संख्या 35 के आराजी खसरा नंबर 191, 192, 193, 201, 201/773 किता 5 रकबा 1.02 हैक्टेयर धर्मसिंह, रामसिंह, ओमप्रकाश पि0 छाज्या, गोमा पत्नि छाज्या हिस्सा 1/2 राहिन यू.को. बैंक शाखा बडियालकलां मूर्तहीन, रमेश चंद दत्तक पुत्र लक्ष्मण

हिस्सा 1/4, घन्टीराम पुत्र कल्याण जगनी पत्नि स्व. कल्याण हि. 1/4 हि.ब. कौम मीना सा. देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। पत्रावली में संलग्न जमाबंदी संवत् 2033-36 के खाता संख्या 78 के आराजी खसरा नंबर 157, 159 किता 2 रकबा 4 बीघा 1 बिस्वा श्रीया लक्ष्मन कल्याण पि० उमराव जाति मीना सा.देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। नामान्तकरण संख्या 67/25.09.77 के द्वारा श्रीया के बजाय छाज्या पुत्र श्रीया के नाम नामान्तकरण स्वीकार हुआ है। नोट अंकित किया हुआ है तथा संलग्न मिलान क्षेत्रफल अनुसार साबिक खसरा नंबर 157, 159 के नवीन खसरा नंबर 191, 192, 193, 201, 201/773 बने है। ग्राम चोरवाडा की नामान्तकरण संख्या 49 दिनांक 05.09.03 गोद पत्र के द्वारा लक्ष्मण पिसरान उमराव के बजाय रमेशचंद दत्तक पुत्र लक्ष्मन कौम मीना बाकी हिस्सा जमाबंदी इन्द्राज किया हुआ है। उक्त प्रकरण में वादी रमेशचंद दत्तक पुत्र लक्ष्मन का हिस्सा 1/4 दर्ज है प्रार्थी सजरा खानदान व साबिक रिकॉर्ड के आधार पर हिस्सा 1/3 दर्ज करवाना चाहता है उक्त प्रकरण की मौके पर भी मजमेआम में जानकारी की गई तो उपस्थित लोगो ने बताया कि सजरा खानदान के अनुसार वादी रमेशचंद का हिस्सा 1/3 दर्ज होना सही है। साबिक रिकॉर्ड अनुसार भी वादी का हिस्सा 1/3 दर्ज होना सही है तथा साबिक रिकॉर्ड अनुसार भी वादी का हिस्सा 1/3 दर्ज किया जाना उचित है। अतः उक्त प्रकरण में सहखातेदारो को सुनवाई का अवसर देते हुये प्रकरण का निस्तारण किया जाना उचित होगा। वादी द्वारा वाद पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज में जमाबंदी 2037-40 एवं 2070-73 के मध्य का राजस्व रिकॉर्ड नहीं लगाया गया है एवं सहखातेदारी की भूमि रहन में होने के कारण संबंधित बैंक को भी पक्षकार बनाया जाना था।

प्रकरण में प्रार्थी वकील बहस सुनी गई। प्रार्थी वकील द्वारा बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों का दोहरान किया। हमने बहस प्रार्थी वकील पर मनन किया। वाद पत्र में वर्णित तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजात व पैरोकार सरकार/नायब तहसीलदार बांदीकुई, नायब तहसीलदार बडियाल कलां, भू. अ. निरीक्षक बडियाल कलां एवं पटवारी हल्का मूण्डघिस्या से प्राप्त जबाब/रिपोर्ट दिनांकः 02.05.2024 का अवलोकन किया गया। पैरोकार सरकार द्वारा प्रस्तुत जबाब/रिपोर्ट दिनांकः 02.05.2024 द्वारा पत्रावली में उक्त भूमि के संबंध में संबंधित सहखातेदारों को व संबंधित बैंक को पक्षकार बनाया जाकार व उनको सुनवाई का अवसर दिया जाकर प्रकरण का निस्तारण किया जाना उचित बताया है। तथा सजरा खानदान के अनुसार तथा साबिक रिकॉर्ड अनुसार भी वादी का हिस्सा 1/3 ही होना अंकित किया है। अतः उपरोक्त अवलोकन से प्रकट है कि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में पर्याप्त दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये हैं ना ही सहखातेदारों व संबंधित बैंक को पक्षकार बनाया है।। जिनके

Scanned with OKEN Scanner

अभाव में प्रार्थी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः प्रार्थी वकील बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजात व पैरोकार सरकार/नायब तहसीलदार बांदीकुई, नायब तहसीलदार बडियाल कलां, भू. अ. निरीक्षक बडियाल कलां एवं पटवारी हल्का मूण्डधिस्या से प्राप्त जबाब/रिपोर्ट दिनांकः 02.05.2024 के अवलोकन के आधार पर प्रार्थी प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 लै.रे.ए. पोषणीय नहीं होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा निर्णय आज दिनांकः 25.03.2025 को लिखा एवं सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया।

निर्णय सुनाया गया।

25/3/25

(रामसिंह राजावत)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी
बांदीकुई

उप खण्ड अधिकारी
बांदीकुई (दौसा)